राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

प.19(11)अल्प.वक्फ/2018/RK/01251 जयपुर, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2019

अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र दिशा–निर्देश

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग,राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.104/नि.अ.मा.वि./प्रमाण पत्र/2016/2283 दिनांक 14.08.2017 में अतिक्रमण करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

A. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र :–** अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिये समय–समय पर जारी किये गये गजट नॉटिफिकेशन/ अधिसूचनाओं में शामिल समुदाय/वर्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।

B. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारीः–** उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट।

C. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया एवं इस हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**

i. **आवेदकः–**

1. **राजस्थान राज्य का मूल निवासी** :– ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग का राजस्थान का मूल निवासी हो। प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

ii. **आवेदन का प्रारूप एवं सलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :– परिशिष्ट "अ"**

iii. **पता प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज (निम्न में से कोई एक) :–**

1. आधार कार्ड
2. भामाशाह कार्ड
3. पासपोर्ट
4. मतदाता सूची
5. किराया नामा
6. बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, या गैस कनेक्शन

iv. **अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**

1. स्वयं का शपथ पत्र
2. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण–पत्र

D. **आवेदन जांच तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूपः–**

1. सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर अपने अधीनस्थ कार्मिक से जांच/परीक्षण कराया जा सकेगा। परीक्षण उपरांत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

E. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रतिः–**

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट–फट जाने या खराब हो जाने पर डुप्लीकेट कॉपी जारी की जा सकेगी।

F. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः–**

1. अल्पसंख्यक समुदाय/वर्ग के लिये जारी किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी। बशर्ते कि वह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग से सम्बद्ध रहता है।

G. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रति हस्ताक्षर की प्रक्रियाः–**

1. अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक को प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर किसी प्रकार की रियायत प्राप्त की गई हो, तो संस्थान नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति में जिला कलेक्टर से उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र को सत्यापन/प्रतिहस्ताक्षर कराया जाकर सत्यापन/प्रतिहस्ताक्षर रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को उसके वांछितानुसार भिजवाई जा सकेगी। उक्त सत्यापन/प्रतिहस्ताक्षर रिपोर्ट 01 माह में आवश्यक रूप से भिजवाई जानी होगी। यदि कोई प्रकरण सतर्कता समिति एवं छानबीन समिति में विचाराधीन है तथा उसमें अंतिम निर्णय में विलम्ब हो रहा तथा संस्था/नियोक्ता के यहा पर निर्धारित अंतिम तिथि निकल रही हो तो संस्था/नियोक्ता द्वारा अस्थायी प्रवेश/ नियुक्ति दी जायेगी तथा यह प्रवेश/ नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के अधीन रहेगी।

Scanned by CamScanner

H. जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति :–

अल्पसंख्यक वर्ग के सन्देहास्पद, फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त करने की स्थिति में उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के परीक्षण/ जांच हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(26)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 11–8–2017 द्वारा किया गया है (संलग्नक–1), जो कि निम्न प्रकार है:–

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलेक्टर– राजस्व	समन्वयक
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा) जिला परिषद	सदस्य
4.	संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य

(i) उपरोक्त समिति में फर्जी एवं सन्देहास्पद अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की सत्यता का परीक्षण करते समय संबंधित पक्षों तथा शिकायत कर्ता एवं जिसका अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा। नाबालिग की स्थिति में उसके माता– पिता/ संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेंगे। समिति परीक्षण उपरांत सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की वैधता/ अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। संबंधित पक्षों को उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अधिकतम एक माह में दी जावेगी। नाबालिग की स्थिति में उसके माता–पिता/ संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है, तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा तथा निर्णय की सूचना संबंधित पक्षकारों को भी तत्काल दी जावेगी।

(ii) यदि प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन पत्र एवं उसके साथ समस्त संलग्न दस्तावेज सत्य है तथा वह उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिए पात्र अभ्यर्थी है तो वह जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष को लिखित में समस्त साक्ष्यों सहित आवेदन कर सकेगा तथा जिला स्तरीय समिति का उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष रहता है कि आवेदक का आवेदन पत्र सही है, तो यह संबंधित सक्षम अधिकारी को नियमानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दे सकेगी एवं यदि आवेदन पत्र खारिज योग्य पाया जाता है, तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणों सहित जारी किया जायेगा।

I. जिला समिति के निर्णय के विरूद्व राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति में अपील :–

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर शिकायतकर्त्ता तथा वह पक्ष जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है अथवा आवेदक जिसका आवेदन निरस्त किया गया है। राज्य स्तरीय छानबीन समिति में जिला स्तरीय समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी।

इस निमित राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति का गठन इस विभाग के आदेश कमांक प. 104/नि.अ.मा.वि/अ.प्रमाण पत्र/2016/12074 दिनांक 10.08.2017 द्वारा किया गया है (संलग्नक–2), जो निम्न प्रकार रहेगी:–

1.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/ निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
4.	उपनिदेशक (प्रथम) अल्पसंख्यक मामलात विभाग	संयोजक
5.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (संबंधित)	सदस्य

Scanned by CamScanner

उक्त राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरूद्ध अपील दायर होने पर युक्तियुक्त तरीके से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेगी तथा अपने स्तर पर निर्णय करेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय उचित है तो अपील को निरस्त किया जा सकेगा तथा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में उचित आदेश जारी किया जा सकेगा, जिसकी पालना के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी बाध्य होगा। छानबीन समिति द्वारा पारित किये गये निर्णय से संबंधित पक्षकारों को तत्काल अवगत कराया जाऐगा।

J. रिकॉर्ड संधारणः–

(अ) अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में एक संकलित स्थायी रजिस्टर का संधारण करते हुए उक्त समस्त रिकॉर्ड साफ सुथरे एवं अच्छी सुरक्षा में रखे जायेंगे।
(ब) अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकॉर्ड में रखी जायेगी। उक्त रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए सदैव उपलब्ध करवाये जायेंगे।

K. ऑनलाईन आवेदनः–

अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र के आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित राज्य में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई गवर्नेन्स प्लान के तहत स्थापित की जाने वाले सी.एस.सी. केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

उक्त दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
10. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
11. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. समस्त संभागीय आयुक्त।
14. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
15. समस्त जिला कलक्टर.।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
17. सचिव, समस्त आयोग/बोर्ड.।
18. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
19. सहायक निदेशक (चतुर्थ) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों/वर्गों के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र

कोर्ट फीस स्टाम्प

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें

1. **आवेदक संबंधी आवश्यक सूचना** (वैकल्पिक बिन्दु को से (✓) चयन करें)

1. प्रार्थी का नाम*
2. पिता का नाम*
3. निवास स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पताः–

(ख) स्थाई पताः–

4. गाँव/शहर* तहसील* जिला*
5. जन्म दिनांकः / / जन्म स्थान* उम्र*
6. लिंग* पुरूष महिला ट्रांसजेंडर वैवाहिक स्थिति* विवाहित अविवाहित विधवा परिपक्वता
7. वर्ग/समुदाय (आवेदक)*: (मुस्लिम/ईसाई/सिख/बौद्ध/पारसी/जैन)
8. पिता का वर्ग/समुदायः
9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस धर्म का अंकन कर रखा है
10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ नहीं
11. मोबाईल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहते है)

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

दिनांकः

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

---

2. **हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट***

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री निवासी

के/की है। यह **अल्पसंख्यक समुदाय** के वर्ग/समुदाय के/की सदस्य है।

प्रार्थी का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र नम्बर दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी

हल्का ....

** जो लागु नहीं हो, काट दे।

* स्टार लगे हुए कॉलम भरना आवश्यक है

Scanned by CamScanner

3.

प्रमाण–पत्र

(i) गवाह***:**

मैं ____ पुत्र/पुत्री श्री ____

निवासी ____

विभाग का नाम ____ पद ____ पर

कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया ____ पुत्र/पुत्री श्री ____

निवासी ____

का गत ____ वर्षों से भली प्रकार से जानता हूँ ये **अल्पसंख्यक समुदाय** ____ के वर्ग/समुदाय के/की सदस्य है, तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में किया गया अभिकथन पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह***:**

मैं ____ पुत्र/पुत्री श्री ____

निवासी ____

विभाग का नाम ____ पद ____ पर

कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया ____ पुत्र/पुत्री श्री ____

निवासी ____

को गत ____ वर्षों से भली प्रकार से जानता हूँ ये **अल्पसंख्यक समुदाय** ____ के वर्ग/समुदाय के/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

---

4. नोटः– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें:–
   1. आवेदक की **नवीनतम फोटो** जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
   2. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न **शपथ पत्र** को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति (राजपत्रित अधिकारी)/नोटरी पब्लिक/मजिस्ट्रेट से सत्यापित करावें।
   3. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

❖ उत्तरदायी व्यक्तियों :–

यथा–संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/वार्डपंच/नगर निकाय अध्यक्ष/पार्षद/ग्राम सेवक/पटवारी ।

** जो लागु नहीं हो, काट दे।

* स्टार लगे हुए कॉलम भरना आवश्यक है

Scanned by CamScanner

शपथ–पत्र

मैं ____ पुत्र/पुत्री श्री ____

निवासी ____

गांव/शहर ____ तहसील ____ जिला ____

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:

(1) मैं राजस्थान के **अल्पसंख्यक समुदाय** वर्ग की ____ वर्ग/समुदाय का/की सदस्य हूँ।
(2) यह कि मैं भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1/11/93 एम.सी.(डी) दिनांक 23–10–1993 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिए अल्पसंख्यक वर्ग/समुदाय की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित ____ वर्ग/समुदाय के /की सदस्य/सदस्या हूँ।
(3) मै उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
(4) मैं राजस्थान राज्य का/की मूल निवासी हूँ तथा मै अपने परिवार के साथ उक्त पते पर निवास कर रहा/रही हूँ।
(5) यह कि मैने इससे पूर्व राज्य के किसी भी जिला/उपखण्ड/तहसील/से **अल्पसंख्यक समुदाय** का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।
(6) यह कि यह शपथ पत्र मैं, अपने नाबालिग पुत्र/पुत्री ____ के नाम का अल्पसंख्यक समुदाय ____ का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं ____ उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित समस्त इबारत मेरी जानकारी में सही व सत्य है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(सत्यापित करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

** जो लागु नहीं हो, काट दे।

* स्टार लगे हुए कॉलम भरना आवश्यक है

Scanned by CamScanner